तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
	पत्रावली पेश हुई।
13.04.2023	प्रार्थीगण के वकील उपस्थित।
	तहसीलदार सिवाना द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई।
	प्रार्थीगण के वकील की बहस सुनी गयी।
	प्रार्थीगण के वकील की बहस है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख० स० 156, 158 व 151 कुल रकबा 9-7045 ग्राम पादरडी कल्ला तहसील सिवाना मे अवास्थित है। जिस पर वे काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। पादरडी कल्ला अवास्थित ख० स० 164 किस्म गैर मुमकीन ओरण मे से बन्दोबस्त पूर्व से एक नाला चल रहा है, जो मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग हरा से बिन्दु सं० A से B द्वारा दर्शाया गया है, किन्तु लट्ठा नक्शा में उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खातेदारी खेत ख० स० 156, 157 व 158 में चलता दिखाया गया है जबकि उक्त खसरों की भूमि पर से कभी भी नालों का आस्तित्व नही रहा। अत: प्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड में नाले की तरमीम वास्तविक बहाव स्थान पर दुरुस्त किया जावें।
उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाडमेर)	हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सिवाना की मौका रिपोर्ट एवं नक्शे का अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार ख० स० 151, 156 व 158 की भूमि पर से कदीमी खेत से रास्ता चला आ रहा है।
	उक्त रास्ते की भूमि की तरमीम परिवर्तित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:54:37 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किये जाने की स्थिति में नाले के वर्तमान तरमीम स्थान पर किसकी खातेदारी होगी। यदि उक्त तरमीम गैर मुमकीन ओरण मे की जाती है तो भी ऐसा विधिक रूप से संभव नही है, क्योंकि ओरण की भूमि प्रतिबंधित श्रेणी मे आती है। चूंकि प्रार्थीगण ने आवेदन धारा 131, 136 RLR ACT के तहत प्रस्तुत किया है, जबकि इस धारा के तहत राजस्व कर्मियो द्वारा लिपिकीय त्रुटि से राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा मे की गई अशुद्ध प्रविष्टि को दुरुस्त किया जाता है। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में वक्त बंदोबस्त की लट्ठा नक्शा स्थिति मे परिवर्तन का अनुतोष चाहा गया है, जो कि 88 RT ACT के प्रावधानो के तहत विचारणीय विषय है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष की विचारणीयता धारा 131, 136 RLR ACT के प्रावधानो मे नही आने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश आज इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:54:37 IST
Reason: SelfAttested